



Neutral Citation-2026: AHC:19514

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या - 2743 वर्ष 2026

श्रवण यादवयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: विमल कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय कक्ष संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया,

1. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को गाटा संख्या 43 (क्षेत्रफल लगभग 0.071 हेक्टेयर) का भौतिक कब्जा सौंप दें। यह निर्देश 17-08-2025 को किए गए सीमांकन के अनुसरण में मांगा गया है, जो एस डी एम, सदर, मऊ द्वारा वाद संख्या 6851/2024 (श्रवण कुमार बनाम ग्राम सभा) में दिनांक 09.07.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में किया गया था। यह आदेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत पारित किया गया था। साथ ही, याचिकाकर्ता को भौतिक कब्जा प्राप्त करने के बाद अपनी कृषि भूमि पर खेती करने की अनुमति देने की भी प्रार्थना की गई है।

2. राज्य-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि यदि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतें प्रतिवादी संख्या 3 (तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मऊ) के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वे इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।

3. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है। याचिकाकर्ता को यह अनुमति दी जाती है कि वह आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, अपनी सभी शिकायतों को उठाते हुए एक नया अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 3 (अर्थात् तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मऊ) के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष, ऊपर बताए गए समय के भीतर, कोई ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले में कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से—और अधिमान्तः, याचिकाकर्ता द्वारा उनके समक्ष ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर—आवश्यक कार्यवाही करें।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

28 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"